न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—राहुल कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 60/2020 **दायर दिनांकः 18/03/2020**

उनवान

1. गौरव नागर आयु 24 वर्ष पुत्र परमानन्द
2. अमित नागर आयु 22 वर्ष पुत्र परमानन्द जातियान धाकड़ निवासीगण मेरमा तालाब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. परमानन्द आयु 45 वर्ष पुत्र जमनालाल जाति धाकड निवासी मेरमा तालाब तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :—
वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।
प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

आदेश दिनाकः 27/08/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल निमोदा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 107 का ख0नं0 289 का रकबा 2.84 है0 ख0न0 289/303 का रकबा 0.40 है0 ख0नं0 290 का रकबा 0.31 है0 ख0नं0 291 का रकबा 2.69 है0 ख0नं0 291/339 का रकबा 1.00 है0 की कुल किता 5 का कुल रकबा 7.24 है0 में हिस्सा 1/5 प्रतिवादी कम 1 के दर्ज खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 वाद पत्र के साथ संलग्न है व वाके ग्राम एवं माल मेरमा तालाब तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 53 का ख0नं0 1102 का रकबा 1.63 है0 ख0नं0 908 का रकबा 5.09 है0 कुल किता 2 का रकबा 6.72 है0 में हिस्सा 1/2 प्रतिवादी कम 1 के दर्ज खाते चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति है। जो वादीगण के दादाजी जमनालाल के खाते दर्ज थी उक्त आराजी प्रतिवादीक्रम 1 को पिता जमनालाल से प्राप्त हुई थी तथा वादीगण प्रतिवादीक्रम 1 की सन्ताने है। जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी को वादीगण व प्रतिवादीक्रम 1 अपने अपने

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2020.09.15 13:42:34 IST
Reason: SelfAttested

हिस्से को कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। ग्राम एवं माल निमोदा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 107 का कुल किता 5 का रकबा 7.24 है0 में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/15, 1/15 बनता है। व ग्राम एवं माल मेरमा तालाब तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 53 का कुल किता 2 का रकबा 6.72 है0 में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/6, 1/6 बनता है। जिसमें वादीगण का जन्म से ही अधिकार बनता है। वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी मे से वादीगण ने अपने हिस्से की आराजी को अलग से अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन प्रतिवादीक्रम 1 से किया तो प्रतिवादीक्रम 1 ने वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे अलग से नाम दर्ज करवाने से साफ मना कर दिया तथा वादीगण ने दिनांक 18.01.2020 को प्रतिवादीक्रम 1 से फिर निवेदन किया कि हमारे हिस्से की आराजी को हमारे खाते राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे दर्ज करवाया जावे। परंतु प्रतिवादीक्रम 1 ने फिर साफ मना कर दिया जबकि वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे दर्ज नही होने से वादीगण को कई समस्याओ का सामना करना पड रहा है। वादीगण कै0 सी0 सी0 नही बनवा सकते तथा अन्य सरकारी योजनाओ का लाभ भी नही ले सकते जिससे वादीगण को बहुत नुकसान उठाना पड रहा है। जबकि वादीगण का वाद पत्र की मद0 न0 1 मे वर्णित आराजी मे जन्म से अधिकार बनता है। जिसे प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादीक्रम 1 द्वारा किये जा रहे अवेधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही है। वादीगण वाद पत्र की मद न0 1 मे वर्णित आराजी मे से अपने हिस्से की आराजी को राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। वाद कारण प्रथमबार वादीगण द्वारा प्रतिवादीक्रम 1 से अपने हिस्से की आराजी को अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन करने पर तथा प्रतिवादी द्वारा मना करने पर व अन्तिम बार दिनांक 30.02.2020 को दोबारा साफ मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र मे उत्पन्न हुआ। उक्त आराजी पर रहन का नोट हमारे हिस्से की आराजी पर दर्ज कर दिया जावें। जिसमे हमे कोई आपति नही है। विवादग्रस्त आराजी ग्राम व माल निमोदा व मेरमा तालाब तहसील अटरू, जिला बारां मे स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को इस वाद मे आवश्यक पक्षकार प्रतिवादीक्रम 2 बनाया है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2020.09.15 13:42:34 IST
Reason: SelfAttested

अतः माननीय न्यायालय में वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीक्रम क्रम 1 सादिर फरमाई जावें।

(अ) वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादी कम 1 के मुताबिक हिस्सा ग्राम एवं माल निमोदा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 107 का कुल किता 5 का रकबा 7.24 है0 में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 को हिस्सा 1/15, 1/15 व ग्राम एवं माल मेरमा तालाब तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 53 का कुल किता 2 का रकबा 6.72 है0 में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 को हिस्सा 1/6, 1/6 का राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे नाम दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा उपस्थित होकर आपसी सहमति से राजीनामा इस आशय का पेश किया गया कि उपरोक्त उनवान का प्रकरण माननीय न्यायालय मे जेरकार है। जिसमे आज तारीख पेशी नियत है। विवादित आराजी वाके ग्राम एवं माल निमोदा तहसील अटरू की खाता संख्या 107 की कुल किता 5 की 7.24 है0 आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/5 दर्ज खाता है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/15, 1/15 बनता है। व ग्राम माल मेरमा तालाब तहसील अटरू की खाता संख्या 53 की कुल किता 2 रकबा 6.72 है0 आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/2 बनता है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/6–1/6 बनता है। क्योंकि उक्त आराजी प्रतिवादी क्रम 1 की पैत्रक सम्पत्ति है। ग्राम व माल निमोदा की खाता संख्या 107 की 7.24 है0 आराजी में वादीगण व प्रतिवादी कम 1 को हिस्सा 1/15, 1/15 का व ग्राम मेरमा तालाब की खाता संख्या 53 की कुल किता 2 की 6.72 है0 आराजी में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 को हिस्सा 1/6, 1/6 का खातेदार कृषक घोषित किया जावें। उपरोक्त वाद में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य आपसी समझाईस से राजीनामा हो गया है जो निम्न प्रकार है। ग्राम व माल निमोदा की खाता संख्या 107 की कुल किता 5 की 7.24 है0 आराजी में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 को हिस्सा 1/15, 1/15 का व ग्राम मेरमा तालाब की खाता संख्या 53 की कुल किता 2 की 6.72 है0 आराजी में

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2020.09.15 13:42:34 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण व प्रतिवादी कम 1 को हिस्सा 1/6, 1/6 का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर हिस्सा राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज किया जावें।

अतः श्रीमान की सेवा में राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामें अनुसार हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी कम 1 के राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

राजीनामा पढ़कर सुनाया गया पक्षकारान द्वारा सही होना स्वीकार किया गया वादीगण की पहचान श्री महावीर नागर एड़0 द्वारा की गई तथा प्रतिवादी कम 1 की पहचान श्री चन्दालाल नागर एड0 द्वारा की गई, राजीनामा बाद तस्दीक शा0 फा0 किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम निमोदा खाता संख्या 107 किता 5 कुल रकबा 7.24 है0 शामलाती खाते में दर्ज है। जिसमें प्रतिवादी कम 1 का 1/5 हिस्सा रहन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा अटरू व ग्राम मेरमा तालाब की खाता संख्या 53 किता 2 रकबा 6.72 है0 शामलाती खाते में दर्ज है, जिसमें प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/2 रहन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा अटरू दर्ज है। जो पैत्रिक सम्पत्ति होने से वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है। प्रस्तुत ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र 16.03.2020 अनुसार वादीगण 1 व 2 प्रतिवादी कम 1 के पुत्र है। न्यायहित में आपसी सहमति से वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद आपसी सहमति से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम निमोदा की खाता संख्या 107 की किता 5 का रकबा 7.24 है0 में प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/5 में वादीगण कम 1 व 2 व प्रतिवादी कम 1 को 1/15, 1/15 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इसी प्रकार ग्राम मेरमा तालाब की खाता संख्या 53 किता 2 रकबा 6.72 है0 में प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/2 में वादीगण 1 व 2 व प्रतिवादी कम 1 को हिस्सा 1/6, 1/6 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। रहन का नोट खाते में दर्ज किया जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2020.09.15 13:42:34 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री राहुल कुमार मल्हौत्रा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 60/2020

उनवान

1. गौरव नागर आयु 24 वर्ष पुत्र परमानन्द
2. अमित नागर आयु 22 वर्ष पुत्र परमानन्द जातियान धाकड़ निवासीगण मेरमा तालाब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. परमानन्द आयु 45 वर्ष पुत्र जमनालाल जाति धाकड निवासी मेरमा तालाब तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................. रूबरू...............X..............................
बहाजिर :–
वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X..
मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम निमोदा की खाता संख्या 107 की किता 5 का रकबा 7.24 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/5 में वादीगण क्रम 1 व 2 व प्रतिवादी क्रम 1 को 1/15, 1/15 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इसी प्रकार ग्राम मेरमा तालाब की खाता संख्या 53 किता 2 रकबा 6.72 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/2 में वादीगण 1 व 2 व प्रतिवादी क्रम 1 को हिस्सा 1/6, 1/6 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। रहन का नोट खाते में दर्ज किया जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(राहुल कुमार मल्हौत्रा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

निज ....X...................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X...
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 27.08.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2020.09.15 13:42:34 IST
Reason: SelfAttested